भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3090

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पाद

3090. श्री गुहाराम अजगल्ले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए केवीआईसी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने और केवीआई उत्पादों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i) केवीआईसी के संस्थानों और उद्यमियों को विपणन सहायता की सुविधा प्रदान की जाती है, केवीआई उत्पादों को बेचने और प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

ii) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए अनूठे और गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन में लगे चयनित उद्यमियों और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iii) प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से केवीआई स्कीमों और कार्यक्रमों का प्रचार।

iv) मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम विभिन्न देशों में केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भागीदारी हेतु केवीआई इकाइयों को एक अवसर और मजबूत मंच प्रदान करती है।

v) केवीआईसी की स्कीमों और केवीआई उत्पादों के बारे में प्रचार के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने के लिए अन्य सरकारी विभागों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया/प्रायोजित किया गया।

vi) खरीदार से उपभोक्ता को बिक्री के उद्देश्य से जेम पोर्टल (gem.gov.in) और ई-मार्केटिंग पोर्टल (www.ekhadiindia.com) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज के माध्यम से उत्पाद आपूर्ति/विपणन तंत्र की व्यवस्था की गई।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा उठाए गए कदम/कार्यान्वित स्कीमें निम्नानुसार हैं:

i) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम**: इस स्कीम के अंतर्गत, केवीआई उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों की उत्पादकता और आय को बढ़ाने, कठिन परिश्रम को कम करने, बाजार मांग के अनुसार नए उत्पादों का विकास और विविधीकरण, स्थानीय कच्चे माल का कुशल उपयोग आदि के लिए अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ii) **खादी विकास योजना (केवीवाई):** इस स्कीम के अंतर्गत, केवीआईसी निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खादी मार्क विनियमन 2013 के अनुपालन में, गुणवत्तायुक्त और मानकीकृत खादी उत्पादों का विनिर्माण सुनिश्चित करता है:

1. भारत में उत्पादित खादी और खादी उत्पादों की प्रामाणिकता की गारंटी- "हाथ से कता, हाथ से बुना और प्राकृतिक रेशा"
2. खादी के लिए एक विशिष्ट पहचान स्थापित करना
3. बेहतर ग्राहक जागरूकता
4. खादी की लोकप्रियता बढ़ाना

iii) **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी):** इस स्कीम के अंतर्गत, पुराने चरखों और करघों को प्रतिस्थापित किया जाता है और खादी संस्थाओं के माध्यम से कारीगरों को नए मॉडल के चरखे, बेहतर करघे, नवीनतम प्रौद्योगिकी और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, खादी उत्पादों के उन्नत प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र प्रदान किए जाते हैं।

iv) वैश्विक मानकों के लिए मानक डिजाइन प्रक्रियाओं को स्थापित करने, नए वस्त्रों और उत्पादों के निर्माण, वस्त्रों के लिए गुणवत्ता मानकों के प्रसार, नए खादी पर दिलचस्प कहानियां बनाकर ब्रांडिंग और प्रचार करने, नए खादी उत्पादों के लिए रचनात्मक दृश्य विपणन और पैकेजिंग तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खादी फैशन शो और प्रदर्शनियों का आयोजन करके खादी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने के लिए निफ़्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और शिलाँग के साथ-साथ हब के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ़्ट), नई दिल्ली के साथ हब और स्पोक मॉडल में **खादी उत्कृष्टता केंद्र** की स्थापना की गई है।

*****